

01/12/22

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी के वक़ूलायको
न्यायालय समय में कक रुक कर आवेजें लगवायी
गई। वादी अनुपास्थित, वादी के वक़ूलाय अनुपास्थित
वादी स्वयं अनुपास्थित है एवं ना ही उनकी और से
विधिक प्रतिनिधि उपस्थित है।
अतः वाद वादी अदम हाजरी, अदम पेशी में
ववारीज किया जाता है। वाद पत्रावली पेशत
शुमार लेकर हसब जावा कारिखत दफतर ही
निर्वय आज दिनांक 01/12/2022 को सुनाया
गया।

4

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला - बीकानेर